–टेण्डर/निविदा आमंत्रण सूचना–

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि परिवहन निगम मुख्यालय के पत्रांक 1467रोपी/20–01 जन/यात्री प्लाजा/19 दिनांक 26.11.2020 के अनुपालन में उ0प्र0 राज्य सड़क परिवहन निगम, लखनऊ क्षेत्र के अन्तर्गत निम्न मार्ग पर संचालित होने वाली परिवहन निगम की बसों के यात्रियों को सुविधार्थ सुव्यवस्थित खानपान सुविधा हेतु नवीन यात्री प्लाजा योजना के अन्तर्गत निम्न विवरणानुसार ऑनलाईन निविदा आमंत्रित की जाती है:–

क्र0 सं0	मार्ग का नाम	स्थान का नाम	अवधि	साधारण/ए0सी बसों हेतु
01	बहराईच – लखनऊ	रामनगर के पास बायी ओर	03 वर्ष	सभी श्रेणियों की बस हेतु

यात्री प्लाज़ा को ई–टेण्डर के माध्यम से अनुबन्ध अनुसार संचालित कराये जाने हेतु वेब साईड www.tender.up.nic.in पर दिनांक 04.05.2026 को समय 15:00 बजे से दिनांक 24.05.2026 को समय 18:00 बजे तक निविदा अपलोड की जायेगी। दिनांक 25.05.26 दिन सोमवार को समय 15:00 बजे ई–निविदा खोले जाने की कार्यवाही कार्यालय क्षेत्रीय प्रबन्धक, 06 सप्रू मार्ग, लखनऊ पर की जायेगी, जिसमें टेण्डरदाता द्वारा अधिकतम प्रति बस ठहराव दिये जाने की दर तथा निगम मुख्यालय के पत्र संख्याः 1467रोपी/20–01 जन/यात्री प्लाजा/19 दिनांक 26–11–2020 के निर्देशानुसार प्रति बस ठहराव की अधिकतम दर के अतिरिक्त भारत सरकार द्वारा लागू की गयी जी0एस0टी0 नियमानुसार अलग से देय होगी एवं **अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट राशि रू0 50,000.00 (रू0 पचास हजार मात्र)** का बैंक **ड्राफ्ट क्षेत्रीय प्रबन्धक, उ0प्र0 परिवहन निगम, लखनऊ क्षेत्र अथवा RM, UPSRTC, LUCKNOW** के पक्ष में टेण्डर फार्म के साथ(तकनीकी बिड लिफाफे में) प्रस्तुत करना होगा एवं **टेण्डर फार्म शुल्क** हेतु रू0 **500.00 + जी0एस0टी0 रू0 90.00 (रू0 590.00 जीएसटी सहित) का बैंक ड्राफ्ट जोकि रिफन्डेबुल नहीं होगा** तथा टेण्डर फार्म के साथ(तकनीकी बिड लिफाफे में) प्रस्तुत किया गया रू0 50,000.00 (रू0 पचास हजार मात्र) का बैंक ड्राफ्ट, जिन टेण्डरदाताओं का टेण्डर स्वीकृत नहीं होगा, उनकी वापसी की जायेगी।

यात्री प्लाज़ा आवेदन हेतु इच्छुक आवेदक परिवहन निगम की वेबसाईड www.upsrtc.com से तथा ई–टेण्डर की साईट www.tender.up.nic.in से टेण्डर फार्म डाउनलोड कर निर्धारित शुल्क **रू0 500.00 + जी0एस0टी0 रू0 90.00 (रू0 590.00 जीएसटी सहित) का आवेदन शुल्क का बैंक ड्राफ्ट RM, UPSRTC, LUCKNOW** के पक्ष में बनवाकर निविदा/आवेदन पत्र के साथ मूलरूप में प्रस्तुत (तकनीक बिड में) किया जायेगा।

टेण्डर के माध्यम से (वित्तीय बिड में) '' प्रतिबस ठहराव की सर्वोच्च दर देने वाले निविदादाता दिनांक 25.05.2026 को समय 14:00 बजे तक टेण्डर प्रस्ताव सील्ड लिफाफे में, लिफाफे के ऊपर बस स्टेशन का नाम, मार्ग का नाम, आवेदक का नाम, निवास का पता, मोबाईल नम्बर(व्हाट्स एप) व ई–मेल आई डी आदि का अंकन करते हुए कार्यालय क्षेत्रीय प्रबन्धक, उ0प्र0 परिवहन निगम, 06 सप्रू मार्ग, लखनऊ को प्राप्त करायेगें, जिसके लिये आवश्यक दिशा–निर्देश निम्नवत हैं:–

निविदा प्रक्रिया की मुख्य शर्तें निम्नवत् है :–

1 वित्तीय एवं तकनीकी निविदा प्रणाली के अन्तर्गत निविदादाता द्वारा वित्तीय एवं तकनीकी निविदा ऑनलाइन के माध्यम से सम्बन्धित वेबसाइट पर अपलोड करायी जायेगीं, जिसमें केवल तकनीकी बिड का लिफाफा अपने दस्तावेज़ों के साथ प्रस्तुत किया जायेगा। वित्तीय बिड का लिफाफा प्रस्तुत नही किया जायेगा, जिसके लिये अपलोड करायी गयी निविदा के साथ बी0ओ0क्यू0 में साधारण, वातानुकूलित, वोल्वों व अन्य ए0सी बसों के प्रतिबस ठहराव की सर्वोच्च दर (मय सभी टैक्सों के) अंकित करते हुए अपलोड करायी जायेगीं। तकनीकी बिड के लिफाफे में यात्री प्लाज़ा का नाम, मार्ग का नाम, आवेदक का नाम, निवास का पता, मोबाईल नम्बर (वाहट्स ऐप) व ई–मेल आई0डी0 आदि स्पष्ट रूप से अंकित किया जायेगा। अग्रेतर डाउनलोड तकनीकी बिडों में

से उपयुक्त तकनीकी बिडों की ही स्थलीय परीक्षणोपरान्त कराया जायेगा। स्थलीय परीक्षण में उपयुक्त पाये जाने वाले निविदादाताओं की ही वित्तीय बिड खोली जायेगी।

2 यात्री प्लाज़ा का निस्तारण निविदा की औपचारिकताऐं पूर्ण करने, उपयुक्त तकनीकी बिडों एव स्थलीय परीक्षणोंपरान्त प्राप्त उच्चतम वित्तीय दरों के आधार पर किया जायेगा।

3 ई–टेण्डर में प्राप्त सम्बन्धित बिड खोलने के उपरान्त क्षेत्रीय चयन समिति द्वारा सम्बन्धित यात्री प्लाज़ा की सूचना स्वीकृति हेतु निगम मुख्यालय को प्रेषित की जायेगी। तत्पश्चात निगम मुख्यालय से तदविषयक स्वीकृति प्राप्त होने के उपरान्त अग्रिम कार्यवाही की जायेगी।

4 प्राप्त निविदाओं में से अस्वीकृत होने वाली निविदा के साथ संलग्न किया गया अर्नेस्ट मनी का बैंक डिमाण्ड ड्राफ्ट सम्बन्धित निविदादाओं को नियमानुसार वापस किया जा सकेगा।

5 ई–निविदा का स्वीकार अथवा अस्वीकार करने का अधिकार निगम प्रबन्धन में निहित होगा।

6 यात्री प्लाज़ा के संचालन की अवधि **03 वर्ष** होगी तथा प्लाजा के अनुबन्ध की तिथि से प्रत्येक अगले वर्ष के लिये प्रतिबस ठहराव दर में **05 प्रतिशत** की वृद्धि संचालक द्वारा स्वयंमेव की जाती रहेगी।

7 निगम मुख्यालय से प्राप्त स्वीकृति पर सफल निविदादाता को समस्त औपचारिकताऐं नियमानुसार पूर्ण करने हेतु निर्देशित किया जायेगा। सफल निविदादाता द्वारा समस्त औपचारिकताऐं पूर्ण करने एवं अनुबन्ध निष्पादन आदि के उपरान्त कार्यादेश निर्गत कर ढाबा संचालित करने की अनुमति दी जायेगी।

8 अनुबन्ध समाप्त होने पर प्रतिभूति धनराशि वापसी की कार्यवाही नियमानुसार की जायेगी।

9 उक्त ई–टेण्डर विज्ञप्ति किसी भी समय निरस्त/विस्तारित की जा सकती है।

10 ढाबे पर विक्रय की जाने वाली किसी भी वस्तु/सेवा को एम0आर0पी0 से अधिक मूल्य पर नही बेचा जायेगा।

11 ढाबा संचालक ढाबे को किसी अन्य व्यक्ति को सबलेट नही करेगा।

12 यात्री सुविध के दृष्टिगत यात्री प्लाज़ा में साफ–सफाई एवं खान–पान की गुणवत्ता उच्च कोटि की होनी प्राथमिकता होगी। कमी पाये जाने पर प्रथम बार निरीक्षण में नोटिस , द्वितीय बार में रू0–5000/– तथा तीसरी बार में रू0–10,000/– का अर्थदण्ड एवं चौथी बार जमा अर्नेस्ट मनी जब्त करते हुए अनुबन्ध समाप्त करने की कार्यवाही की जायेगी।

13 सफल निविदादाता द्वारा, कार्यादेश जारी होने की तिथि से 07 दिवसों के अन्दर जिलाधिकारी के स्तर से निर्गत चरित्र प्रमाण पत्र प्रस्तुत किये जाने के उपरान्त ही अनुबन्ध निष्पादित किया जायेगा।

तकनीकी बिड जमा करने हेतु मुख्य शर्तें निम्नवत हैः–

14 निविदादाता द्वारा रु0 10/– के नोटराईज्ड शपथ–पत्र द्वारा काली सूची में न होने का प्रमाण–पत्र मूल रूप में संलग्न करना अनिवार्य होगा,

15 प्रतिभाग करने वाले टेण्डरदाताओं को अपने टेण्डर फार्म के साथ भूमि सम्बन्धी अभिलेखों, निर्मित यात्री प्लाजा/ढाबे के फोटोग्राफ्स आदि (स्वप्रमाणित),

16 निवास प्रमाण पत्र/आधार, पैन कार्ड, (स्वप्रमाणित),

17 सम्बन्धित जिले के जिलाधिकारी से प्राप्त **चरित्र प्रमाण पत्र** की स्वयं प्रमाणित प्रति अथवा अनुबन्ध से पूर्व जिलाधिकारी से प्राप्त चरित्र प्रमाण पत्र प्राप्त कराये जाने सम्बन्धी प्रार्थना पत्र (स्वप्रमाणित),

18 यात्री प्लाजा/यात्री प्लाजा की भूमि के नक्षे की प्रति (स्वप्रमाणित),

19 निविदा प्रपत्र/आवेदन प्रारूप तथा तकनीकी बिड के प्रारूप को विधिवत भरने वाले निविदादाताओं की ही निविदा स्वीकार की जायेगी, अपूर्ण अथवा अस्पष्ट भरे आवेदनों पर कोई विचार नही किया जायेगा।

20 टेण्डर आवेदन षुल्क का रू0 590.00 का डी0डी0 तथा आर्नेस्ट मनी डिपोजिट राशि हेतु रू0 50,000.00 का डी0डी0 **मूल रूप** में तकनीकी बिड के लिफाफे में रखी जायेगी,

लिफाफे के ऊपर तकनीकी बिड, अपना नाम/पिता का नाम/पता/मो0 नं0/सेवा का नाम जिस हेतु आवेदन किया गया है, के साथ किस स्थान के लिये टेण्डर किया जा रहा है का स्पष्ट उल्लेख किया जायेगा।

नोटः– *हैसियत प्रमाण पत्र तथा जिलाधिकारी से प्राप्त चरित्र प्रमाण प्राप्त करने वाले टेण्डरदाता को प्रथम वरीयता दी जायेगी। अनुबन्ध से पूर्व उक्त प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य होगा।*

वित्तीय बिड

वित्तीय बिड का लिफाफा स्वीकार नही किया जायेगा, जिसके लिये टेण्डर की साईड www.tender.up.nic.in पर अपलोड बी0ओ0क्यू0 में ही आरक्षित मूल्य से अधिक की दर (मय सभी टेक्सों के) अंकित की जायेगी।

यात्री प्लाजा/ढाबें की सिक्योरिटी मनी के डिपॉजिट की गणना चयन प्रक्रिया पूर्ण होने के उपरान्त वर्तमान संषोधित नियमावली के नियम सी–5 के अनुसार बाद में की जायेगी। निविदा की शर्ते पूर्ण करने वाले टेण्डरदाताओं की स्वीकृति हेतु संस्तुति सहित प्रस्ताव निगम मुख्यालय को प्रेषित किये जायेगे तदोपरान्त निगम मुख्यालय से अनुमोदन प्राप्त हो जाने के उपरान्त ही क्षेत्रीय स्तर से यात्री प्लाजा के अनुबन्धन की कार्यवाही की जायेगी। किसी भी प्रस्ताव की मुख्यालय को संस्तुति करने अथवा न करने का अधिकार क्षेत्रीय समिति में निहित होगा। उक्त विज्ञप्ति किसी भी समय निरस्त की जा सकती है।

नोटः– समिति द्वारा अंतिम निर्णय यात्री प्लाजा हेतु स्थलीय निरीक्षण उपरान्त ही लिया जायेगा।

टेण्डर आवेदन फार्म व नियम शर्तो सहित क्षेत्रीय प्रबन्धक कार्यालय, 06 सप्रू मार्ग, लखनऊ के कार्यालय से भी नकद भुगतान कर क्रय की जा सकती है।

संलग्नकः– **यात्री प्लाजा योजना नियमावली, नवम्बर, 2020**

क्षेत्रीय प्रबन्धक
लखनऊ।

कार्यालय क्षेत्रीय प्रबन्धक
उत्तर प्रदेश परिवहन निगम, लखनऊ क्षेत्र।
06 सप्रू मार्ग लखनऊ

पत्र संख्याः 6558 **/ल0क्षे0/क्षे0प्र0/नीलामी विज्ञप्ति–लखनऊ–4/2025 दिनांकः** 30–04–2026

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं इस अनुरोध के साथ कि नीलामी विज्ञप्ति को नोटिस बोर्ड पर चस्पा कराने का कष्ट करेः–

1– वित्त नियंत्रक, उ0प्र0 परिवहन निगम मुख्यालय, लखनऊ। ई–मेल द्वारा
2– प्रधान प्रबन्धक (प्रशा0/संचा0), परिवहन निगम मुख्यालय, लखनऊ। ई–मेल द्वारा
3– प्रधान प्रबन्धक(विविध/पीआईडीएम/वाणिज्य विपणन), उ0प्र0 परिवहन निगम मुख्यालय, लखनऊ। ई–मेल द्वारा
4– प्रधान प्रबन्धक(एम0आई0एस0), वैब मास्टर, परिवहन निगम मुख्यालय, लखनऊ। ई–मेल द्वारा
5– जन सम्पर्क अधिकारी, उ0प्र0 परिवहन निगम मुख्यालय, लखनऊ। ई–मेल द्वारा
6– समस्त क्षेत्रीय प्रबन्धक, उ0प्र0 परिवहन निगम। ई–मेल द्वारा
7– सेवा प्रबन्धक, उ0प्र0 परिवहन निगम, लखनऊ क्षेत्र। ई–मेल द्वारा
8– समस्त सहायक क्षेत्रीय प्रबन्धक, उ0प्र0 परिवहन निगम, लखनऊ क्षेत्र को इस आशय से कि सम्बन्धित निविदा बस स्टेशनों एवं कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर चस्पा कराये। ई–मेल द्वारा
9– सहायक क्षेत्रीय प्रबन्धक(वित्त), उ0प्र0 परिवहन निगम, लखनऊ। ई–मेल द्वारा
10– कोषाध्यक्ष, उ0प्र0 परिवहन निगम, लखनऊ क्षेत्र एवं नोटिस बोर्ड। ई–मेल द्वारा
11– tender@upsrtc.com / https//:e-tender.up.nic.in

क्षेत्रीय प्रबन्धक
लखनऊ।

पास पोर्ट साइज का फोटो स्वयं प्रमाणित	**उ0प्र0 राज्य सड़क परिवहन निगम** **लखनऊ क्षेत्र।** **06, सप्रू मार्ग, हजरतगंज, लखनऊ।** **यात्री प्लाजा नाम से खानपान ईकाई का अनुबन्ध करने हेतु आवेदन–पत्र** **निविदा फार्म का मूल्य रू0 590.00 जी0एस0टी0 सहित**	उ0प्र0रा0स0प0नि0क्रम संख्या

निविदा प्रपत्र

नीलामी स्थान का विवरणः– **कार्यालय क्षेत्रीय प्रबन्धक, 06 सप्रू मार्ग, लखनऊ।**

प्रारूप –ए (तकनीकी बिड)

1	प्रस्तावदाता (यात्री प्लाजा स्वामी) का पूरा नाम एवं पता वल्दियत सहित मोबाईल नम्बर	
2	प्रस्तावदाता को विधि प्रास्थिति (हैसियत) यथा व्यक्तिगत/पार्टनरषिप फर्म/लिमिटेड कम्पनी आदि फर्म/कम्पनी की ओर से आवेदन किया जा रहा है तो स्पष्ट करें। (पार्टनरशिप डीड अथवा आर्टिकल एसोषिएशन की प्रमाणित प्रति संलग्न करें)	
3	**यात्री प्लाजा से सम्बन्धित विवरण :–** 3.1 स्थान का नाम (प्रस्तावानुसार) 3.2 किस प्रकार की सेवा हेतु आवेदन किया है– (वोल्वा/एसी/साधारण बस सेवा) 3.3 मार्ग का नाम (प्रस्तावानुसार) 3.4 तहसील 3.5 पुलिस थाना 3.6 लोक निर्माण विभाग के मार्ग पर अंकित कि0मी0 के अनुसार स्थान की स्थिति 3.7 यात्री प्लाजा का नाम (यदि कोई हो) 3.8 अप/डाउन साईड की स्थिति	
4	भूमि जिस पर यात्री प्लाजा बनाया जाना/स्थित है (क्षे0–4000 वर्गमीटर, फ्रंट–50मी0 चौड़ा) है का विवरणः– 4.1 भूमि का स्वामित्व/लीज किसके नाम पर है (विवरण संलग्न करें) 4.2 भूमि पर यदि निर्माण है तो उल्लेख करें (निर्मित भवन का विवरण अंकित करके हुये नक्षा संलग्न करें)	कुल क्षेत्रफल .... वर्गमीटर सड़क पर फ्रण्टेज .... वर्गमीटर
	4.3 न्यूनतम 40 बस यात्रियों हेतु उपलब्ध सुविधाओं का विवरण अंकित करें	(see list below)

सुविधा	संख्या
1 खान–पान स्थान हेतु न्यूनतम 40 व्यक्तियों के बैठने के लिये फर्नीचर।	
2 निःशुल्क प्यूरीफाइड पेयजल की व्यवस्था।	
3 महिला शौचालय 04	
4 पुरूष शौचालय 04	
5 यूरिनल सीट 05	
6 यात्रियों के बैठने के स्थान पर न्यूनतम 08 सीलिंग फैन।	
7 वॉशबेसिन एवं टॉवेल, साबुन की उपलब्धता।	
8 जनरेटर 16 केबीए।	
10 डीज फ्रीजर।	
11 खाद्य पदार्थ को तैयार करने में प्रयुक्त एडबिल ऑयल यदि हानिकारक फैट कंटेन्ट व लो सेचुरेटेड फण्ड के दृष्टिकोण से उच्चतर एफ0डी0ए0 /एगमॉर्क मानक के अनुरूप।	
12 कुकिंग गैस प्रयोग की स्थिति में कामर्शियल कनेक्शन या कुकिंग कोल की व्यवस्था।	
13 खान–पान संबंधी वस्तुओं की दरों की सूची।	
14 शिकायत पुस्तिका।	
15 हाईजीन साफ–सफाई।	
16 सीसीटीवी कैमरा	

5	यात्री प्लाजा के निर्माण को पुर्नद्धार कर निगम द्वारा चिन्हित सुविधाओं में स्वीकृत के दिनांक से लगने वाला समय कृपया 03 माह अनाधिक समय अंकित करें।	
6	वर्तमान में यदि यात्री प्लाजा संचालित है तो उपलब्ध सुविधाओं का विवरण अंकित करें।	
7	यदि निगम द्वारा प्रस्ताव में उल्लिखित सुविधाओं के अतिरिक्त अन्य कोई सुविधा दे सकते है, तो उसका विवरण संलग्न करें।	
8	क्या होटल/कैटरिंग कार्य/यात्री प्लाजा के संचालन का पूर्व अनुभव है:– हॉ/नहीं यदि हॉ तो पूर्ण विवरण दें।	
9	आवेदन फार्म हेतु रू0 590.00 के बैंक ड्राफ्ट का विवरण अंकित कर मूल रूप में संलग्न करें	
10	आर्नेस्ट मनी डिपोजिट हेतु रू0 50,000.00 के बैंक ड्राफ्ट का विवरण अंकित कर मूल रूप में संलग्न करें	
11	खाद्य नियंत्रक एवं (FSSAI) द्वारा जारी गुणवत्ता के प्रमाण पत्र की प्रति संलग्न करें।	
12	जिलाधिकारी द्वारा निर्गत चरित्र प्रमाण पत्र की प्रति संलग्न करें अथवा उपलब्ध कराये जाने के आशय का प्रार्थना–पत्र संलग्न करें।	
13	आधार कार्ड की प्रति संलग्न करें	
14	पैन कार्ड की प्रति संलग्न करें	
15	टेण्डरदाता को रू0 10 के नोटराइज्ड शपथ पत्र द्वारा काली सूची में न होने का प्रमाण पत्र निविद आवेदन के साथ मूल रूप में संलग्न करना अनिवार्य होगा।	
16	हैसियत प्रमाण पत्र संलग्न है अथवा नहीं	

नोटः–हैसियत प्रमाण पत्र तथा जिलाधिकारी से प्राप्त चरित्र प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाले टेण्डरदाता को प्रथम वरीयता दी जायेगी। अनुबन्ध से पूर्व उक्त प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य होगा।

स्थानः ....

दिनांक ....

आवेदक के हस्ताक्षर
(नाम व पता सहित)

नाम ....

पिता का नाम ....

पता ....

मो0 नं0 ....

घोषणा

मै/हम षपथ पूर्वक यह घोषणा करते हैं कि ऊपर मेरे/हमारे द्वारा दिया गया विवरण सही तथा सत्य है। मैंने यात्री प्लाजा को अधिकृत करने विषयक परिवहन निगम द्वारा निर्गत नियम एवं षर्ते भलीभॉति पढ एवं समझ ली है, जिसे मै आबद्ध करने हेतु सहमत हूॅं।

स्थान ....

दिनांक ....

आवेदक के हस्ताक्षर

Signature Not Verified
Digitally signed by RAJESH KUMAR SINGH
Date: 2026.05.06 13:04:54 IST
Location: Uttar Pradesh-UP